



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 13 नवम्बर, 2019

कार्तिक 22, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-1

संख्या 1320/62-1-2019-10 जीडब्लू-2014

लखनऊ, 13 नवम्बर, 2019

अधिसूचना

प0आ10-344

उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2019) की धारा 7 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किए जाने के दिनांक से राज्य में एक प्राधिकरण का गठन करती हैं जिसे 'उत्तर प्रदेश राज्य भूगर्भ जल प्रबन्धन विनियामक प्राधिकरण' के रूप में जाना जायेगा।

आज्ञा से,  
अनीता सिंह,  
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1320/LXII-1-2019-10gw-2014, dated November 13, 2019:

No. 1320/LXII-1-2019-10gw-2014

Dated Lcknow, November 13, 2019

In exercise of the powers under section 7 of the Uttar Pradesh Ground Water (Management and regulation) Act, 2019 (U.P. Act no. 13 of 2019), the Governor is pleased to establish an authority in the State to be known as the 'Uttar Pradesh State Ground Water Management and Regulatory Authority' with effect from the date of publication of this notification in the Gazette.

By order,  
ANITA SINGH,  
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 379 राजपत्र-(हिन्दी)-2019-(998)-599 प्रतियां-(क०/टी०/ऑफसेट)।  
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 3 सा० लघु सिंचाई-2019-(999)-1,000 प्रतियां-(क०/टी०/ऑफसेट)।